

वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 जनवरी, 2018-पौष 15, शके 1939

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

पहले मेरा नाम धनीराम दुबे था. जिसे बदलकर देवराज दुबे कर दिया गया है. अतः मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( धनीराम दुबे )

(604-बी.)

नया नाम :

( देवराज दुबे )

पुत्र श्री चतुर्भुज दुबे,  
निवासी—ग्राम बेरखेडी, तहसील उदयपुरा,  
जिला रायसेन ( मध्यप्रदेश ).

#### CHANGE OF NAME

I, have changed my name from SMITA KSHIRSAGAR to NAMITA RODE (wife of Sunil Rode) after marriage on 06-06-1993 as per affidavit.

Old Name:

( SMITA KSHIRSAGAR )

(605-B.)

New Name :

( NAMITA RODE )

188, Sanchar Nagar, Ext.  
Kanadiya Road, Indore (M.P.).

#### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह से पूर्व मेरा नाम “क. वैजयंती बर्डे पुत्री श्री शरद बर्डे” था जो विवाह पश्चात परिवर्तित होकर “श्रीमती रिया मोखरीवाले पत्नि श्री रवि मोखरीवाले” हो गया है. अतः मुझे मेरे परिवर्तित नाम “श्रीमती रिया मोखरीवाले पत्नि श्री रवि मोखरीवाले” के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( क. वैजयंती बर्डे )

पुत्री श्री शरद बर्डे.

(607-बी.)

नया नाम :

( रिया मोखरीवाले )

पत्नि श्री रवि मोखरीवाले.

### नाम परिवर्तन

मैं, आरजू हुसैन पति मो. आरिफ, निवासी 1199, जहांगीराबाद नगर निगम चौक राइट टाउन, जबलपुर की शपथपूर्वक कथन करती हूँ कि यह कि मेरा विवाह मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार, दिनांक 17-12-2008 को अंजुमन इस्लामिया जहांगीराबाद में सम्पन्न हुआ तब से मैं अपने पति के साथ उक्त पते पर निवासरत हूँ. यह कि विवाह के पूर्व मेरा नाम अनुपमा श्रीवास्तव पुत्री श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव था एवं विवाह के बाद मेरा नाम सभी दस्तावेजों में मेरा नाम श्रीमति आरजू हुसैन पति मो. आरिफ के नाम से जाना-पहचाना जावे एवं मेरे सभी दस्तावेजों में यह नाम दर्ज किया जावे और मैं अपना धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम धर्म के अंतर्गत मोहम्मद आरिफ से विवाह कर पति के रूप में निवासरत हूँ.

पुराना नाम :

( अनुपमा श्रीवास्तव )

(606-बी.)

नया नाम :

( आरजू हुसैन )

पति मो. आरिफ.

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पुराना नाम रामकली बाथम पत्नी स्व. श्री दिनेश बाथम, निवासी-जोशी वाली, गली सिब्बा बाथम का मकान कुम्हारपुरा थाटीपुर, मुरार, ग्वालियर था. अब मेरा नया नाम रजनी बाथम पत्नी स्व. श्री दिनेश बाथम, निवासी जोशी वाली गली, सिब्बा बाथम का मकान कुम्हारपुरा, थाटीपुर, मुरार, ग्वालियर हो गया है.

अतः भविष्य में अब मेरा नाम सभी शासकीय एवं दस्तावेजों में रजनी बाथम पत्नी स्व. दिनेश बाथम के ही नाम से जाना एवं पहचाना जावेगा.

पुराना नाम :

( रामकली बाथम )

(608-बी.)

नया नाम :

( रजनी बाथम )

पत्नी स्व. दिनेश बाथम,  
निवासी-जोशी वाली गली सिब्बा बाथम का मकान,  
कुम्हारपुरा, थाटीपुर, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

### उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का स्कूल में नाम ख्याति वर्मा है. जिसमें मैंने नाम परिवर्तित करके अपनी पुत्री ख्याती वर्मा से ख्याति सविता कर दिया है. अतः मेरी पुत्री के भविष्य में सभी शासकीय व अशासकीय कार्य ख्याति सविता के नाम से ही सम्पन्न होंगे.

पंकज सविता,

निवासी-तोमर बाड़े के पीछे, पारदी मोहल्ला,  
शिन्दे की छावनी, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(609-बी.)

### उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को बहलफ सूचित किया जाता है कि मैं, शिवप्रसाद वर्मा तनय श्री छोटेलाल, जन्मतिथि 25-08-1964 पद-शिक्षक कार्य स्थान शास. मा. शाला गोरसरी संकुल केन्द्र शास. उत्कृष्ट उ. मा. विद्या. रामनगर, जिला सतना (म.प्र.), निवास ग्राम-गंजास, तहसील रामनगर, जिला सतना (म.प्र.) मैं अपना पूर्व उपनाम चर्मकार/चमार/चौधरी परिवर्तित कर दिया हूँ, अब मुझे शिवप्रसाद चर्मकार/चमार/चौधरी के वजाय शिवप्रसाद वर्मा तनय श्री छोटेलाल के नाम से जाना-पहचाना, लिखा पढ़ा एवं सम्बोधित किया जाय तथा आगे मेरे शासकीय/अशासकीय सभी दस्तावेजों में सुधार कर उपनाम में वर्मा दर्ज किया जाय.

पुराना नाम :

( शिवप्रसाद चर्मकार/चमार/चौधरी )

(610-बी.)

नया नाम :

( शिवप्रसाद वर्मा )

तनय श्री छोटेलाल,  
निवास-ग्राम-गंजास, तहसील रामनगर,  
जिला सतना (म.प्र.).

**नाम परिवर्तन**

मैं, शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि शादी के पूर्व तक मेरा नाम निधि चतुर्वेदी पिता श्री कृष्ण गोपाल चतुर्वेदी था. 22 फरवरी, 2008 को मेरा विवाह श्री जगन्नाथ पटैरिया मूलनिवास आलमपुरा, तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़ के साथ सम्पन्न होने के बाद से मेरा नया नाम निधि पटैरिया पति श्री जगन्नाथ पटैरिया हो गया है मैं, वर्तमान में शासकीय मा. शा. एन.के. जे. कटनी में अध्यापिका के पद पर पदस्थ हूँ मेरा वर्तमान पता निधि पटैरिया पति श्री जगन्नाथ पटैरिया, C/O श्री आर. एस. चौरसिया नया गाँव नई कटनी जंक्शन, तहसील व जिला कटनी (म.प्र.) है. अतः अब मुझे मेरे नये नाम निधि पटैरिया पति श्री जगन्नाथ पटैरिया के नाम से जाना-पहचाना जाए एवं समस्त अभिलेखों में मेरा नाम निधि पटैरिया ही दर्ज किया जाए.

पुराना नाम :  
( निधि चतुर्वेदी )  
पिता श्री कृष्ण गोपाल चतुर्वेदी.  
(611-बी.)

नया नाम :  
( निधि पटैरिया )  
पति श्री जगन्नाथ पटैरिया.

**उप-नाम परिवर्तन**

मैंने अपना अविवाहित काल का पुराना नाम श्वेता राजपाल के स्थान पर मेरा विवाह संदीप वधवा के साथ दिनांक 24-07-2001 को हो जाने के कारण रीति रिवाजों अनुसार नया नाम श्वेता वधवा ग्रहण कर लिया है सो मुझे मेरे परिचित, रिश्तेदार, समाजजन पुराने नाम श्वेता राजपाल के स्थान पर नये परिवर्तित नाम श्वेता वधवा के नाम से जाने, पहचाने व पुकारें.

पुराना नाम :  
( श्वेता राजपाल )

नया नाम :  
( श्वेता वधवा )  
पति संदीप वधवा,  
बंगला नम्बर 41, सीआरपीएफ रोड,  
नीमच, जिला नीमच (म.प्र.).

(612-बी.)

**उप-नाम परिवर्तन**

यहकि मेरी हाई स्कूल की अंकसूची में नाम वीनस जाटव पुत्री श्री भागीरथ जाटव अंकित है जबकि मेरी कक्षा 12वीं अंकसूची, आधार कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र व अन्य दस्तावेजों में नाम वीनस कैम अंकित है मेरा सही एवं वास्तविक नाम वीनस कैम है जोकि सत्य व सही है मैं इसी नाम से जानी-पहचानी व पुकारी जाती हूँ मैं अपना सही नाम वीनस कैम पुत्री श्री भागीरथ कैम. निवासी-लाईन नम्बर 01, क्वार्टर नम्बर 68, बिरला नगर, ग्वालियर.

पुराना नाम :  
( वीनस जाटव )

नया नाम :  
( वीनस कैम )

(613-बी.)

**उप-नाम परिवर्तन**

मैं, वीरेन्द्र कुमार सेन पिता ताराचंद्र, निवासी-1906, डिफेन्स कॉलोनी, साउथ सिविल लाईन, जबलपुर (म.प्र.) आम-जनता को सूचित किया जाता है कि मुझे वीरेन्द्र कुमार सेन के नाम से जाना जाता है. मेरा सरनेम अब वीरेन्द्र कुमार सेन से वीरेन्द्र कुमार दुबे हो गया है. अब मुझे इसी सरनेम से जाना-पहचाना एवं सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम :  
( वीरेन्द्र कुमार सेन )

नया नाम :  
( वीरेन्द्र कुमार दुबे )

(614-बी.)

**CHANGE OF NAME**

Informed to the General Public that previously my name was Sumit Bharke S/o B.P. Bharke which is now changed to Laveesh Bharke S/o B.P. Bharke from now onwards I shall known by this name only.

Old Name:  
( SUMIT BHARKE )

New Name :  
( LAVEESH BHARKE )

(615-B.)

**CHANGE OF NAME**

Before marriage my name was Maya Mulani after marriage I have changed my name Bhavika Parwani W/o Mohan Parwani.

Old Name:  
(MAYA MULANI)  
(617-B.)

New Name :  
(BHAVIKA PARWANI)  
Add-G-5/2, Old Behind Sher Hathi,  
Building, Bairagrah, Bhopal (M.P.).

**उप-नाम परिवर्तन**

सर्व-सूचित हो कि मेरा नाम विवाह पूर्व रोहिणी मांजरेकर पुत्री श्री मनोहर मांजरेकर था. विवाह उपरांत मेरा नाम श्रीमती रोहिणी जेऊरकर (भाषा) हो गया है. भविष्य में मेरे समस्त शासकीय दस्तावेजों, दैनिक कार्य व्यवहार में इसी नाम से जाना-पहचाना जावे. सूचनाकर्ता श्रीमती रोहिणी जेऊरकर पत्नी श्री भास्करराव जेऊरकर.

पुराना नाम :  
(रोहिणी मांजरेकर)  
(618-बी.)

नया नाम :  
(रोहिणी जेऊरकर)  
पत्नी श्री भास्करराव जेऊरकर,  
ए-170, कुएं वाली गली, आनंद नगर,  
ग्वालियर (म.प्र.).

**नाम परिवर्तन**

यह कि मेरा पूर्व नाम मुरारी लाल डन्डा है जो कि मेरे कुछ दस्तावेजों में नाम दर्ज है. जो कि अब मेरा नाम मुरारी खटीक है. जो कि मेरे सभी दस्तावेजों में नाम दर्ज है. यह कि, मैं अब मुरारी खटीक से जाना-पहचाना जाता हूँ और आगे भी इसी नाम से जाना जाऊंगा. जो कि मेरा सही नाम मुरारी खटीक पुत्र श्री भगवानदास खटीक है. जो कि सत्य व सही है.

पुराना नाम :  
(मुरारी लाल डन्डा)  
(619-बी.)

नया नाम :  
(मुरारी खटीक)  
पुत्र श्री भगवानदास खटीक,  
नि.-खटीक मोहल्ला, शिन्दे की छावनी,  
लशकर, ग्वालियर.

**नाम परिवर्तन**

यह कि मेरा पूर्व नाम बबीता डन्डा है जो कि मेरे कुछ दस्तावेजों में नाम दर्ज है. जो कि अब मेरा नाम बबीता है. जो कि मेरे सभी दस्तावेजों में नाम दर्ज है. यह कि, मैं अब बबीता के नाम से जानी-पहचानी जाता हूँ और आगे भी इसी नाम से जानी जाऊंगी. जो कि मेरा सही नाम बबीता पत्नी श्री मुरारी है. जो कि सत्य व सही है.

पुराना नाम :  
(बबीता डन्डा)  
(620-बी.)

नया नाम :  
(बबीता)  
पत्नी श्री मुरारी,  
नि.-खटीक मोहल्ला, शिन्दे की छावनी,  
लशकर, ग्वालियर.

**नाम परिवर्तन**

मैं, मीरा परिहार पत्नी श्री महेश परिहार का शादी से पहले मेरा नाम मीना राय पुत्री जगन्नाथ प्रसाद राय था. जो कि विवाह पश्चात् परिवर्तित होकर मीरा परिहार हो गया है. मीरा परिहार एवं मीना राय दोनों नाम ही मेरे हैं. भविष्य में मेरे समस्त कार्य मीरा परिहार के नाम से ही सम्पन्न होंगे एवं मुझे उक्त नये नाम मीरा परिहार के नाम से जाना-पहचाना जायेगा.

पुराना नाम :  
(मीना राय)  
(621-बी.)

नया नाम :  
(मीरा परिहार)  
पत्नी श्री महेश परिहार,  
निवासी-301, ब्रिज अपार्टमेंट कार्ति नगर,  
ग्वालियर.

**नाम परिवर्तन**

मेरा नाम भगवान लाल राय पुत्र श्री तेज नारायण राय, निवासी 52/ जैन नगर, लालघाटी भोपाल से जाना व पहचाना जाता था तक मेरा नाम समस्त दस्तावेजों में दर्ज है. अब मेरा नाम परिवर्तन होकर बी. एल. रोहन राय से जाना व पहचाना जाता है.

पुराना नाम :

नया नाम :

( भगवान लाल राय )

( बी. एल. रोहन राय )

(622-बी.)

**नाम परिवर्तन**

मेरा नाम विवाह पूर्व रैना रायचंदानी पुत्री श्री शंकरलाल है. जो शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है विवाह पश्चात् मेरा नाम परिवर्तन होकर काजल मोरदांनी पत्नी श्री संतोष कुमार मोरदांनी हुआ तथा मैं इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ.

पुराना नाम :

नया नाम :

( रैना रायचंदानी )

( काजल मोरदांनी )

(625-बी.)

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पहले मेरा नाम हरी अग्रवाल था जो कि बदलकर हरी किशन अग्रवाल पिता उदयराम अग्रवाल हो गया है. अतः भविष्य में मुझे हरी किशन अग्रवाल पिता उदयराम अग्रवाल के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

नया नाम :

( हरी अग्रवाल )

( हरीकिशन अग्रवाल )

पिता-उदयराम अग्रवाल,  
पता-बंगला नं. 102, सिमरोल रोड,  
महू, जिला इन्दौर-453441.

(626-बी.)

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मैं श्रीमती वंदना पति विजय काबरा के नाम से जानी तथा पहचानी जाती थी मेरे पति की मृत्यु दिनांक 13-06-1998 को हो जाने के पश्चात् मेरे द्वारा द्वितीय विवाह रमेश कुमार बजाज से दिनांक 08-07-2003 को सम्पन्न किया है उक्त विवाह के पश्चात् मैं, श्रीमती वंदना बजाज पति रमेश कुमार बजाज के नाम से जानी तथा पहचानी जाती हूँ. सो सूचित हो.

पुराना नाम :

नया नाम :

( वंदना )

( वंदना बजाज )

पति विजय काबरा.

पति रमेश कुमार बजाज.

(627-बी.)

**जाहिर सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स शिवा एंड कंपनी, पता 6 मोती, मार्केट, सुल्तानिआ रोड, भोपाल (मध्यप्रदेश) में श्री जगजीत सिंह संधू पिता स्व. श्री वरयाम सिंह संधू, निवासी 264 विष्णुपुरी एन. एक्स. इन्दौर (म.प्र.), श्री कवलजीत सिंह भुल्लर पिता स्व. श्री इकबाल सिंह भुल्लर, निवासी 94, माँ विहार कॉलोनी, ए. बी. रोड, इन्दौर (म.प्र.) तथा श्री विवेक जैन पिता श्री सुभाष चंद्र जैन, निवासी 36, उत्कर्ष इस्टेट, रिंग रोड, बंगाली चौराहे के पास, इन्दौर (म.प्र.) तीनों दिनांक 26-04-2017 से भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गए हैं.

मैसर्स शिवा एण्ड कम्पनी के भागीदार श्री मनमोहन अग्रवाल पिता श्री विशम्भर दयाल अग्रवाल, निवासी ए-15, कोलर रोड, विशम्भर कुंज, चुना-भट्टी, हुजूर आर. एस. नगर, भोपाल 462016 (म.प्र.) श्री प्रदीप अग्रवाल पिता श्री कुंजबिहारी लाल अग्रवाल, निवासी ए-148, अल्कापुरी भेल, हुजूर एच. इ. हॉस्पिटल भोपाल 462024 (म.प्र.) व श्री अशोक गुप्ता पिता श्री गजानंद गुप्ता, निवासी आशीर्वाद बंगलो, डी. के. रेनबो के समाने, चुना-भट्टी, कोलर रोड, हुजूर, भोपाल 462042 (म.प्र.) तीनों स्वेच्छा से दिनांक 28-04-2017 से फर्म से पृथक् हो गए हैं.

मैसर्स शिवा एंड कम्पनी का नया पता 9 एफबी, स्कीम नं. 94, रिंग रोड बंगाली चौराहे के पास इन्दौर-452016 (म.प्र.) दिनांक 28-04-2017 से परिवर्तित हो गया है.

अगर किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन से 7 दिवस में निम्न पते पर सूचित करें.

For—M/s. Shiva And Company,

**Jagjeet Singh Sandhu,**  
**Kawaljeet Singh Bhullar,**  
**Vivek Jain**

(Partner).

(616-B.)

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी भागीदारी फर्म मे. जय कामदगिरी मिनरल्स, जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक 06/12/12/00082/2011-12 एवं पता तलझया मोहल्ला, लवकुश नगर, जिला छतरपुर म.प्र. है, मैं 1. प्रदीप कुमार अग्रवाल, 2. देवेन्द्र शिवहरे एवं 3 सूरज प्रसाद गुप्ता नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हुए हैं, तथा अब सभी भागीदारों ने मिलकर आपसी सहमती से फर्म का नया पता म. नं. 01, ग्राम-दिदवारा, तहसील लवकुश नगर, जिला छतरपुर म.प्र. कर लिया है.

वास्ते.—मेसर्स जय कामदगिरी मिनरल्स,  
लक्ष्मण दास गुप्ता,  
(भागीदार).

(623-बी.)

### NOTICE

#### U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firms "KALINDI CONSTRUCTION" of Bhopal vide Registration No. 01/01/01/0238/16, 2016-2017 Date 05-10-2016 undergone the following changes:-

1. That Shri Brijraj Jhawar S/o Shri Mahendra Kumar Jhawar has joined the firm and Shri Giriraj Jhawar S/o Shri Mahendra Kumar Jhawar has desire to retire from the partnership firm w.e.f, 27-11-2017.

Kalindi Construction,  
PRATHMESH TIWARI,  
(Partner)

(624-B.)

18 B, Zone II, M.P. Nagar, Bhopal.

### विविध

#### निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर, 2017

#### निविदा सूचना

क्र. जी. बी./दो(18)2017/2647.—1. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के मॉड्यूल, कार्ड एवं अन्य सामग्री के मुद्रण कार्य हेतु निर्धारित तकनीकी विवरण अनुसार पेपर सहित मल्टीकलर मुद्रण, बंधन, पैकिंग, परिवहन एवं अन्य कार्य की समस्त कर सहित प्रदाय हेतु अखिल भारतीय स्तर के मुद्रकों से आईटी डिपार्टमेंट की वेबसाइट <https://mpeproc.gov.in> से ऑनलाईन निविदाएं दिनांक 12 जनवरी, 2018 अपरान्ह 2.00 बजे तक की-डेट्स अनुसार आमंत्रित की जाती हैं.

- ऑनलाईन तकनीकी निविदा की हार्डकॉपी, पेपर नमूनें अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर सहित की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा. ऑनलाईन तकनीकी भाग को दिनांक 12 जनवरी, 2018 को अपरान्ह 3.30 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से डाउनलोड किया जावेगा एवं हार्डकॉपी के प्रस्तुत दस्तावेजों को खोला जावेगा.
- निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना <https://mpeproc.gov.in> एवं [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) उपलब्ध रहेगी.

(1937)

Bhopal, Dated 21<sup>st</sup> December, 2017

### TENDER NOTICE

No. GB-II/(18)2017/2647.—ONLINE Bids are invited through IT Department website <https://mpeproc.gov.in> from the National Level Printers/tenderers for Printing and supply of Mother and Child Health Modules, Card and Other Printing Materials as per mentioned in technical details including Paper, Multicolour Printing, Binding] Folding, Packing, Transportation and Other Charges (inclusive all taxes) are invited on or before Dated 12<sup>th</sup> January, 2018 at 2.00 PM as per key dates.

2. Hard Copy of the Bid Documents complete in all respects, alongwith Technical tender document, certified Paper Sample, acceptance of tender condition must be received at the office of the undersigned as per key dates. Envelopes of Hard Copy and Online Technical Parts will be open on 12<sup>th</sup> January, 2018 at 3.30 PM in the Office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.
3. All corrigendum/amendments/changes; if any will only be issued and made available only on **website <https://mpeproc.gov.in> & [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in).**

(1937-A)

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर, 2017

**तृतीय निविदा सूचना**

क्र. जी. बी./दो(71)2017/2689.—31, जिला कार्यालयों को संलग्न सूची अनुसार ILA 16,17 एवं 18 के निर्धारित तकनीकी विवरण अनुसार पेपर सहित मल्टीकलर प्रिंटिंग, पैकिंग, परिवहन एवं जीएसटी (अन्य समस्त कर) सहित प्रदाय करने के इच्छुक प्रिंटर्स/निविदाकारों से आईटी डिपार्टमेंट की वेबसाइट <https://mpeproc.gov.in> से ऑनलाईन निविदाएं दिनांक 05 जनवरी, 2018 अपराह्न 1.00 बजे तक की-डेट्स अनुसार आमंत्रित की जाती हैं.

2. ऑनलाईन तकनीकी निविदा की हार्डकॉपी, पेपर नमूनें अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर सहित की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा. ऑनलाईन तकनीकी भाग को दिनांक 05 जनवरी, 2018 को अपराह्न 3.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से डाउनलोड किया जावेगा एवं हार्डकॉपी को प्रस्तुत दस्तावेजों को खोला जावेगा.
3. किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना <https://mpeproc.gov.in> & [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) उपलब्ध रहेगा.

(01)

Bhopal, Dated 23<sup>rd</sup> December, 2017**THIRD TENDER NOTICE**

No. GB-II/(71)2017/2689.— ONLINE Bids are invited through IT Department website <https://mpeproc.gov.in> from the interested Printers/tenderers for Printing and supply of ILA A/3 Sheet 16,17, 18 as per mentioned in technical details including Paper, Multicolour Printing, folding .Packing, Transportation and Other Charges (inclusive all taxes) for supply at **31 District Headquarters** (As per List Enclosed) are invited on or before Dated 5<sup>th</sup> January, 2018 at 1.00 PM as per key dates.

2. Hard Copy of the Bid Documents complete in all respects, alongwith Technical tender document, certified Paper Sample, acceptance of tender condition must be received at the office of the undersigned as per key dates. Envelopes of Hard Copy and Online Technical Parts will be open on 5<sup>th</sup> January, 2018 at 3.00 PM in the Office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.
3. All corrigendum/amendments/changes, if any will only be issued and made available only on **Website <https://mpeproc.gov.in> & [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)**

**RAJESH KAUL,**

Controller,

Govt. Printing and Stationery,

Madhya Pradesh, Bhopal.

(01-A)

**न्यायालयों की सूचनाएं**

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट गोपदवनास, जिला सीधी

प्रारूप क्रमांक-4

[ देखें नियम-5(1) ]

[ मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम -5 (1) के द्वारा ]  
लोक न्यासों के पंजीयक सीधी, जिला सीधी के समक्ष.

अतः कि बाण भट्ट कला संस्कृत संरक्षण संस्थान (न्याय) सीधी, तहसील गोपदवनास, जिला सीधी ने मध्यप्रदेश लोक न्यास

अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 13 नवम्बर, 2017 के 10.30 बजे कार्यालय दिवस में मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का पूरा नाम पता : बाण भट्ट कला संस्कृत संरक्षण संस्थान (न्याय) सीधी,  
थाना कोतवाली सीधी, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी (म.प्र.).

सम्पत्ति का विवरण : 11000.00 रुपये (ग्यारह हजार रुपये) सूची संलग्न है.

शैलेन्द्र सिंह,

उपखण्ड मजिस्ट्रेट.

(1938)

### न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी शहर एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, भोपाल

प्र.क्र. 02/बी-113/2016-17.

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5(1) के अन्तर्गत]

**समक्ष : रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट जिला भोपाल.**

आवेदक न्यासी श्री बंसीलाल ईसराणी आ. स्व. श्री उत्तमचंद ईसराणी, निवासी 45, वकील कॉलोनी ईदगाह हिल्स, भोपाल द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर उत्तमचंद ईसराणी (मयूर) परमार्थ ट्रस्ट न्यास, भोपाल के मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दर्शाई गई पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो लिखित दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. उपयुक्त समयावधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

### अनुसूची

ट्रस्ट का नाम : श्रद्धेय उत्तमचंद ईसराणी (मयूर) परमार्थ ट्रस्ट भोपाल.

कार्यालय का पता : 20, सिंधी कॉलोनी बैरसिया रोड, भोपाल (म.प्र.).

अचल सम्पत्ति : निरंक

चल सम्पत्ति : 11,000/- ग्यारह हजार रुपये मात्र.

मिलिंद ढोंके,

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(1866)

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर एवं पंजीयक, लोक न्यास, जिला सतना

प्रारूप क्रमांक-4

[देखें नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम -5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक सतना जिला के समक्ष.

यतः कि श्री अखिलेश सिंह पिता सानन्द सिंह, निवासी विराट नगर कॉलोनी सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना ने मध्यप्रदेश



लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 10 जनवरी, 2018 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. न्यास का नाम व पता | : | सत्यम् शिवम् शिक्षण संस्थान.<br>विराट नगर पतेरी सतना, तहसील रघुराजनगर. |
| 2. अचल सम्पत्ति       | : | ग्राम मझगवां में आ. नं. 262/1/1/घ रकबा 0.370 हे.                       |
| 3. चल सम्पत्ति        | : | 5,00,000.00 रुपये.   |

### प्रारूप-5

[देखें नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम -5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, सतना के समक्ष.

अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिए मैं, बलवीर रमण, जिला सतना लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 10 जनवरी, 2018 को कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कथित न्यास की सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में नियत दिनांक 10 जनवरी, 2018 के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

**बलवीर रमण,**

(1867)

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

### अन्य सूचनाएं


**कार्यालय, वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण (सा.) वनमण्डल बालाघाट**

बालाघाट, दिनांक 23 नवम्बर, 2017

आ.क्र./मा.चि./स्था.आ./726.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि निम्नानुसार आकृति का बीट हेमर वन परिक्षेत्र अधिकारी खैरलांजी (सा.) परिक्षेत्र को इस कार्यालय के चालन नम्बर 20 दिनांक 24 जुलाई, 2008 के द्वारा प्रदाय किया गया था. वन परिक्षेत्र अधिकारी खैरलांजी (सा.) परिक्षेत्र ने अपने कार्यालयीन पत्र क्रमांक 61, दिनांक 25 जनवरी, 2017 के द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया गया है, कि श्री चन्द्रशेखर चौहान, वनरक्षक बीट गार्ड पीपरटोला के बीट भ्रमण के दौरान बस्ता (थैला) फट जाने से बीट हेमर दिनांक 10 जनवरी, 2017 को गुम हो चुका है, खोज-बीन की गई किन्तु नहीं मिला. गुमशुदा बीट हेमर की प्राथमिकी रिपोर्ट पुलिस थाना खैरलांजी में दिनांक 16 जनवरी, 2017 को दर्ज की गई. उक्त बीट हेमर की खोज के समस्त प्रयास असफल रहे. अतः वन वित्तीय नियम-124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उक्त गुमशुदा बीट हेमर को हेमर रजिस्टर से एवं शासकीय अभिलेख से अपलेखित किया जाता है.

उक्त बीट हेमर की कीमत राशि रुपये 270.00 (रुपये दो सौ सत्तर मात्र) श्री चन्द्रशेखर चौहान, वनरक्षक बीट गार्ड पीपरटोला, परिक्षेत्र खैरलांजी (सा.) से एकमुश्त उनके वेतन से वसूल करने के लिये आदेश दिया जाता है तथा शासकीय कार्य में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने के कारण भविष्य के लिए चरित्रावली चेतावनी दी जाती है।

निम्न दर्शित बीट हेमर यदि किसी व्यक्ति को मिले तो उक्त हेमर को निकटतम पुलिस थाना अथवा वन विभाग के कार्यालय में तत्काल ही जमा करें। यदि कोई व्यक्ति उक्त हेमर को अवैधानिक रूप से अपने पास रखते हुये प्रयोग करते हुये पाया जावेगा, तो उस पर भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-63 बी के अनुसार अभियोजन चलाया जावेगा तथा वह दण्ड का भागीदार होगा। गुमशुदा बीट हेमर की आकृति दर्शित है।



(1939)

देवप्रसाद जे.,

वनमण्डल अधिकारी.

### कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 25 नवम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/4437.—तृष्णा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर पंजीयन क्रमांक 655, दिनांक 14 फरवरी, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 4067, दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) के पत्र क्रमांक 1258, दिनांक 12 जुलाई, 2017 के आधार पर जारी किया गया था। जिसमें सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) ने ऐसी गृह निर्माण सहकारी संस्थाएं जो विगत 5 वर्षों से अंकेक्षण नहीं करा रही है या अकार्यशील है, उन संस्थाओं के स्थिति विवरण पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षक द्वारा "द" वर्ग दिया गया है एवं संस्था पंजीकृत पते पर नहीं है तथा प्रशासको को संस्था का रिकार्ड अप्राप्त है। ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध परिसमापन/पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही प्रस्तावित की साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि दिनांक 02 जनवरी, 2017 को आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र. भोपाल द्वारा इन्दौर जिले की समीक्षा बैठक एवं मासिक विडियो कांफ्रेंसिंग में भी उक्त प्रकार की संस्थाओं के विरुद्ध पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जाने के निर्देश दिये गये थे। संस्था के प्रभारी अधिकारी श्री विजय दिशोरिया उप-अंकेक्षक द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 का जवाब दिनांक 23 नवम्बर, 2017 को कार्यालय में प्रस्तुत किया है, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि पूर्व प्रभारी अधिकारी श्री जगदीश जलोदिया, सहकारी निरीक्षक द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत पत्र दिनांक 03 जून, 2017 के अनुसार संस्था में दिनांक 31 मार्च, 2017 तक मात्र 8 सदस्य शेष हैं एवं संस्था में कोई भूमि/भूखण्ड शेष नहीं है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होगा। इस आशय का उल्लेख विजय दिशोरिया द्वारा भी अपने प्रस्तुत पत्र में किया गया है। उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-6(1) के प्रावधानों का उल्लंघन भी हो रहा है क्योंकि कम से कम 20 सदस्य विभिन्न परिवारों के होने चाहिए एवं जबकि संस्था के पास 8 सदस्य ही शेष रह गए हैं।

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तृष्णा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री एम. एम. श्रीवास्तव, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

(1868)

के. पाटनकर,  
उप-रजिस्ट्रार.

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	आदिवासी खनिज सहकारी संस्था, तिघरा	255/30-12-1996	1520/22-06-2016
2.	श्रमिक सहयोग गृह निर्माण सहकारी संस्था, ग्वालियर	DR/GWR/171/25-02-1978	706/25-03-2017

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाए, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावों, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 24 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(1940)

चित्रारेवगाँवकर,  
परिसमापक एवं सह. निरीक्षक.

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	संत रविदास क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	डी.आर./जी.डब्ल्यू.आर./892/15-06-2006	713/25-03-2017
2.	नगरपालिका निगम कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., डबरा	डी.आर./जी.डब्ल्यू.आर./901/14-09-2000	1520/22-06-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाए, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावों, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 24 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(1941)

इन्द्रा निगम,  
परिसमापक एवं सह. निरीक्षक.

## कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 27 नवम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1796.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार साईं बाबा झूलेलाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये साईं बाबा झूलेलाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2017/1316, विदिशा, दिनांक 31 अगस्त, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से साईं बाबा झूलेलाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, साईं बाबा झूलेलाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही.डी. एस./237, दिनांक 29 सितम्बर, 1981 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री आर. के. कटारे, सहकारी निरीक्षक, जिला विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1870)

विदिशा, दिनांक 01 दिसम्बर, 2017

क्र.परि./2017/1812.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2006/447, दिनांक 07 अप्रैल, 2006 एवं संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/1136, विदिशा, दिनांक 08 अगस्त, 2012 से कामगार व कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, सिलवाय खजूरी, तहसील नटेरन, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./246, दिनांक 10 दिसम्बर, 1982 को परिसमापन में लाया जाकर श्री एम. एस. भदौरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, नटेरन को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा कामगार व कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, सिलवाय खजूरी, तहसील नटेरन, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

मैं समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं . ए. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कामगार व कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, सिलवाय खजूरी, तहसील नटेरन, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./246, दिनांक 10 दिसम्बर, 1982 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बाडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1871)

विदिशा, दिनांक 01 दिसम्बर, 2017

क्र.परि./2017/1813.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./1998/601, दिनांक 21 मई, 1998 एवं संशोधित आदेश

क्रमांक/परिसमापन/2015/1091, विदिशा, दिनांक 08 अगस्त, 2015 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पमारिया, तहसील नटेरन, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./424, दिनांक 31 मार्च, 1992 को परिसमापन में लाया जाकर श्री एम. एस. भदौरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, नटेरन को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पमारिया, तहसील नटेरन, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं . ए. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पमारिया, तहसील नटेरन, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./424, दिनांक 31 मार्च, 1992 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बाडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1872)

विदिशा, दिनांक 01 दिसम्बर, 2017

क्र.परि./2017/1814.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./1998/599, दिनांक 21 मई, 1998 एवं संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/1092, विदिशा, दिनांक 08 अगस्त, 2015 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नागौर, तहसील नटेरन, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./407, दिनांक 31 अक्टूबर, 1991 को परिसमापन में लाया जाकर श्री एम. एस. भदौरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, नटेरन को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नागौर, तहसील नटेरन, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं . ए. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नागौर, तहसील नटेरन, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./407, दिनांक 31 अक्टूबर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बाडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1873)

ए. के. सिंह,  
उप-पंजीयक.

### कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएँ, जिला बड़वानी

दिनांक 28 नवम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू-1.—कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन) सहकारी संस्थाएँ, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70(1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र. व दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5
1.	चिकल्या आजिविका बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., चिकल्या.	280/06-12-2010	472/31-03-2017	श्री अशोक शर्मा, उप. अंके.

1	2	3	4	5
2.	बड़वानी सिटी साख बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., बड़वानी.	467/29-04-2013	478/31-03-2017	श्री अशोक शर्मा, उप. अंके.
3.	बालाजी साख बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., बड़वानी.	468/29-04-2013	479/31-03-2017	श्री अशोक शर्मा, उप. अंके.

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञापित प्रकाशित होने के 02 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों, संस्था, सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से संबंधित कोई लेखा-पुस्तकें, चल/अचल सम्पत्ति, अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर संबंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें, अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इस समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 28 नवम्बर, 2017 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

(1874)

**अशोक शर्मा,**  
उप अंके. एवं परिसमापक.

### कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी

दिनांक 28 नवम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू.—कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन) सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70(1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र. व दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5
1.	श्री साई साख सह. संस्था मर्या., बड़वानी	477/29-04-2015	442/31-03-2017	श्री पवन अग्रवाल, उप. अंके.
2.	अंगीरा साख सह. संस्था मर्या., बड़वानी	108/19-06-2003	470/31-03-2017	श्री पवन अग्रवाल, उप. अंके.
3.	श्री विनायक साख सह. संस्था मर्या., बड़वानी	469/29-04-2015	474/31-03-2017	श्री पवन अग्रवाल, उप. अंके.
4.	जैन साख सह. संस्था मर्या., बड़वानी	454/05-02-2015	477/31-03-2017	श्री पवन अग्रवाल, उप. अंके.

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञापित प्रकाशित होने के 02 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों, संस्था, सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से संबंधित कोई लेखा-पुस्तकें, चल/अचल सम्पत्ति, अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर संबंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें, अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इस समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 28 नवम्बर, 2017 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

(1875)

**पवन अग्रवाल,**  
उप अंके. एवं परिसमापक.

**कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी**

दिनांक 05 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन) सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70(1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र. व दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5
1.	माँ नर्मदा क्रय-विक्रय सह. स. मर्या., बड़वानी	260/25-05-2005	458/31-03-2017	श्री एस. बी. कटारे
2.	परम श्री कम्प्यूटर साख सह. स. मर्या., बड़वानी	462/29-04-2015	465/31-03-2017	श्री एस. बी. कटारे
3.	केरियर साख सह. संस्था मर्या., बड़वानी	458/29-04-2015	466/31-03-2017	श्री एस. बी. कटारे
4.	दक्ष साख सह. संस्था मर्या., बड़वानी	322/04-01-2013	469/31-03-2017	श्री एस. बी. कटारे

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 02 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों, संस्था, सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से संबंधित कोई लेखा-पुस्तकें, चल/अचल सम्पत्ति, अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर संबंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें, अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इस समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

**एस. बी. कटारे,**

अंकेक्षण अधि. एवं परिसमापक.

(1876)

**कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी**

दिनांक 05 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन) सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70(1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र. व दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5
1.	माँ बिजासनी मुद्रणालय सह. स. मर्या., सेंधवा	191/22-08-2005	453/31-03-2017	श्री के. सी. दशोरे, उप. अंके.
2.	श्री बालाजी साख सह. स. मर्या., सेंधवा	318/03-10-2012	488/31-03-2017	श्री के. सी. दशोरे, उप. अंके.
3.	माँ शारदा प्रा. उप. भण्डार सह. स. मर्या., सेंधवा	468/06-07-2010	459/31-03-2017	श्री के. सी. दशोरे, उप. अंके.
4.	जन हितैषी सह. स. मर्या., बड़वानी	492/29-04-2015	490/31-03-2017	श्री के. सी. दशोरे, उप. अंके.

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 02 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित

परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों, संस्था, सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से संबंधित कोई लेखा-पुस्तकें, चल/अचल सम्पत्ति, अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर संबंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें, अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इस समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी। जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सूचना आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई।

**के. सी. दशोरे,**

उप-अंकेक्षण एवं परिसमापक.

(1877)

### कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी

दिनांक 06 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन) सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70(1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र. व दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5
1.	आदि. एवं पिछड़ा वर्ग सह. स. मर्या., सेंधवा	465/29-04-2015	439/31-03-2017	श्री जे. एस. रावत, स.नि.
2.	ओम बीज उत्पा. सह. स. मर्या., बलवाड़ी	475/29-04-2015	440/31-03-2017	श्री जे. एस. रावत, स.नि.
3.	दि. आदर्श जनता साख को. सह. स. मर्या., सेंधवा	466/29-04-2015	441/31-03-2017	श्री जे. एस. रावत, स.नि.
4.	पिपुल्स क्रेडिट को. साख को. सह. स. मर्या., बड़वानी	501/26-06-2015	454/31-03-2017	श्री जे. एस. रावत, स.नि.
5.	सेंधवा साख को. सह. स. मर्या., सेंधवा	352/22-03-2014	455/31-03-2017	श्री जे. एस. रावत, स.नि.
6.	खुश्याल बीज उत्पा. सह. स. मर्या., सेंधवा	315/20-09-2012	471/31-03-2017	श्री जे. एस. रावत, स.नि.

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 02 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों, संस्था, सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से संबंधित कोई लेखा-पुस्तकें, चल/अचल सम्पत्ति, अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर संबंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें, अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इस समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी। जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सूचना आज दिनांक 06 दिसम्बर, 2017 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई।

**जे. एस. रावत,**

स.नि. एवं परिसमापक.

(1878)

### कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी

दिनांक 07 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन) सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम की धारा-69



के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70(1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र. व दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5
1.	श्री संतोषी ग्राम म. बहु. संस्था मर्या., ओसाडा	132/07-08-2003	451/31-03-2017	श्री अशोक काग, स.नि.
2.	रिद्धि-सिद्ध साख म. बहु. संस्था मर्या., कसरावद	481/29-04-2015	462/31-03-2017	श्री अशोक काग, स.नि.
3.	दरिया साख म. बहु. संस्था मर्या., पाटी	482/29-04-2015	468/31-03-2017	श्री अशोक काग, स.नि.
4.	चौकी माता बीज उत्पा. म. बहु. संस्था मर्या., चौकी	326/31-03-2013	473/31-03-2017	श्री अशोक काग, स.नि.
5.	समर्पण साख म. बहु. संस्था मर्या., पाटी	438/09-12-2014	482/31-03-2017	श्री अशोक काग, स.नि.
6.	नर्मदा बीज उत्पा. म. बहु. संस्था मर्या., चितावल	453/05-02-2015	483/31-03-2017	श्री अशोक काग, स.नि.

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञापित प्रकाशित होने के 02 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों, संस्था, सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से संबंधित कोई लेखा-पुस्तकें, चल/अचल सम्पत्ति, अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर संबंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें, अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इस समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 07 दिसम्बर, 2017 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

अशोक काग,  
स.नि. एवं परिसमापक.

(1879)

### कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी

दिनांक 10 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन) सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70(1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र. व दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5
1.	द्वारिका साख सह. संस्था मर्या., बड़वानी	470/29-04-2015	443/31-03-2017	श्री व्ही. के. गुप्ता, स.नि.
2.	जय किसान बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., ओझर	485/29-04-2015	475/31-03-2017	श्री व्ही. के. गुप्ता, स.नि.
3.	नर्मदा आजिविका बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., कासेल	277/04-12-2010	485/31-03-2017	श्री व्ही. के. गुप्ता, स.नि.
4.	ग्रामीण म. बहु. सह. संस्था मर्या., बुदरा	137/14-08-2003	487/31-03-2017	श्री व्ही. के. गुप्ता, स.नि.

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञापित प्रकाशित होने के 02 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों, संस्था, सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से संबंधित कोई लेखा-पुस्तकें, चल/अचल सम्पत्ति, अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर संबंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें, अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इस समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 10 दिसम्बर, 2017 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

(1880)

व्ही. के. गुप्ता,  
स.नि. एवं परिसमापक.

### कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी

दिनांक 28 नवम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन) सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70(1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र. व दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5
1.	ओम साईं आजिविका बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., देवधर	276/04-12-2010	457/31-03-2017	श्री बी. एल. जामरे, व.स.नि.
2.	प्रथा साख बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., बड़वानी	256/10-09-2008	484/31-03-2017	श्री बी. एल. जामरे, व.स.नि.

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 02 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों, संस्था, सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से संबंधित कोई लेखा-पुस्तकें, चल/अचल सम्पत्ति, अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर संबंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें, अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इस समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 28 नवम्बर, 2017 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

(1881)

बी. एल. जामरे,  
व.स.नि. एवं परिसमापक.

### कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी

दिनांक 13 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन) सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70(1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र. व दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5
1.	माँ ब्रजेश्वरी साख सह. संस्था मर्या., बड़वानी	409/21-11-2014	463/31-03-2017	श्रीमती प्रभा बघेल, स.नि.

1	2	3	4	5
2.	आचल साख सह. संस्था मर्या., बड़वानी	477/29-04-2014	464/31-03-2017	श्रीमती प्रभा बघेल, स.नि.
3.	माँ मेलडी साख सह. संस्था मर्या., बड़वानी	405/21-11-2014	486/31-03-2017	श्रीमती प्रभा बघेल, स.नि.

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञापित प्रकाशित होने के 02 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों, संस्था, सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से संबंधित कोई लेखा-पुस्तकें, चल/अचल सम्पत्ति, अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर संबंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें, अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इस समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

**प्रभा बघेल,**

स. नि. एवं परिसमापक.

(1882)

### कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी

दिनांक 13 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन) सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70(1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र. व दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5
1.	श्री निषाद साख सह. संस्था मर्या., खेतिया	460/29-04-2015	459/31-03-2017	श्री जी. एस. तरोले, व.स.नि.
3.	सहयोग साख सह. संस्था मर्या., खेतिया	463/29-04-2015	460/31-03-2017	श्री जी. एस. तरोले, व.स.नि.
4.	महालक्ष्मी साख सह. संस्था मर्या., देवली	484/29-04-2015	461/31-03-2017	श्री जी. एस. तरोले, व.स.नि.

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञापित प्रकाशित होने के 02 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों, संस्था, सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से संबंधित कोई लेखा-पुस्तकें, चल/अचल सम्पत्ति, अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर संबंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें, अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इस समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

**जी. एस. तरोले,**

व.स.नि. एवं परिसमापक.

(1883)

**कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी**

दिनांक 14 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन) सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70(1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र. व दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5
1.	दिपीका साख सह. संस्था मर्या., बड़वानी	389/21-11-2014	444/31-03-2017	श्री जे. एस. चौहान, व.स.नि.
2.	श्री गुरु नानक साख सह. संस्था मर्या., बड़वानी	391/21-11-2014	445/31-03-2017	श्री जे. एस. चौहान, व.स.नि.
3.	श्रीजी साख सह. संस्था मर्या., बड़वानी	401/21-11-2014	446/31-03-2017	श्री जे. एस. चौहान, व.स.नि.
4.	संजीवनी साख सह. संस्था मर्या., बड़वानी	178/29-09-2014	447/31-03-2017	श्री जे. एस. चौहान, व.स.नि.
5.	श्री नाथ साख सह. संस्था मर्या., बड़वानी	392/21-11-2014	448/31-03-2017	श्री जे. एस. चौहान, व.स.नि.
6.	आदर्श व्यापारी साख सह. संस्था मर्या., बड़वानी	382/21-11-2014	449/31-03-2017	श्री जे. एस. चौहान, व.स.नि.
7.	मारूती साख सह. संस्था मर्या., बड़वानी	424/21-11-2014	450/31-03-2017	श्री जे. एस. चौहान, व.स.नि.

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञापित प्रकाशित होने के 02 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों, संस्था, सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से संबंधित कोई लेखा-पुस्तकें, चल/अचल सम्पत्ति, अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर संबंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें, अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इस समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

(1884)

**जे. एस. चौहान,**  
व.स.नि. एवं परिसमापक.

**कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी**

दिनांक 14 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन) सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70(1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र. व दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5
1.	अक्षय साख सह. संस्था मर्या., बड़वानी	455/29-04-2015	467/31-03-2017	श्री राजेन्द्र सिरसाट, स.नि.
2.	प्रयास साख सह. संस्था मर्या., ठीकरी	494/29-04-2015	476/31-03-2017	श्री राजेन्द्र सिरसाट, स.नि.
3.	जय किसान बीज एवं कृषि साख सह. संस्था मर्या., केसरपुरा	419/21-11-2014	480/31-03-2017	श्री राजेन्द्र सिरसाट, स.नि.

1	2	3	4	5
4. माँ उमिया प्रा. उप. भ. सह. संस्था मर्या., अंजड़	203/26-06-2006	481/31-03-2017	श्री राजेन्द्र सिरसाट, स.नि.	
5. भवानी म. प्रा. उप. भ. सह. संस्था मर्या., अंजड़	307/26-04-2012	491/31-03-2017	श्री राजेन्द्र सिरसाट, स.नि.	

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 02 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों, संस्था, सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से संबंधित कोई लेखा-पुस्तकें, चल/अचल सम्पत्ति, अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर संबंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें, अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

राजेन्द्र सिरसाट,

(1885)

स.नि. एवं परिसमापक.

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना

गुना, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2382.—निर्माकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	शक्तिपुंज महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., कीताखेडी.	1031/14-09-2004	735/18-05-2017	विजय गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया.

(1887)

गुना, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2383.—निर्माकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली

सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पैंची	570/07-03-1979	735/18-05-2017	विजय गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया.

(1888)

गुना, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2384.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	आदर्श दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गणेशपुरा.	513/27-03-1979	735/18-05-2017	विजय गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया.

(1889)

गुना, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2385.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन

में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	आदर्श चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., चाचौड़ा.	518/24-05-1995	735/18-05-2017	विजय गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1890)

गुना, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2386.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नठई	957/02-07-2002	735/18-05-2017	विजय गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1891)

गुना, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2387.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन

में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	प्राथमिक वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सींगनपुर.	616/30-11-1991	735/18-05-2017	विजय गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूं अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया.

(1892)

गुना, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2388.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सूंजापुरा.	1114/02-01-2007	735/18-05-2017	विजय गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूं अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया.

(1893)

गुना, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2389.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन



में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हीरपुर	944/08-05-2002	733/18-05-2017	सी. एम. धुलिया, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1894)

गुना, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2390.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., भौरा	171/03-03-1966	733/18-05-2017	सी. एम. धुलिया, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1895)

गुना, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2391.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन

में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., राधौगढ़	460/03-08-1958	732/18-05-2017	जी. के. वास्त्री, सहकारी निरीक्षक.

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूं अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1896)

गुना, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2392.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	प्रा. वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., बंसतपुरा	662/18-10-1991	732/18-05-2017	जी. के. वास्त्री, सहकारी निरीक्षक.

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूं अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1897)

गुना, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2393.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन

में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	अजा/अजजा सफाई कामगार सेनेटरी मार्ट सहकारी संस्था राधौगढ़.	1164/16-05-2012	732/18-05-2017	जी. के. वास्त्री, सहकारी निरीक्षक.

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1898)

गुना, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2394.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	चर्मकार सहकारी संस्था, जामनेर	456/10-05-1956	732/18-05-2017	जी. के. वास्त्री, सहकारी निरीक्षक.

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1899)

गुना, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2395.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन

में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	वृक्ष सहकारी संस्था, चांदनवेहट	668/18-10-1991	732/18-05-2017	जी. के. वास्त्री, सहकारी निरीक्षक.

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूं अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1900)

गुना, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2396.—निर्मांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पारकना	1117/10-01-2007	732/18-05-2017	जी. के. वास्त्री, सहकारी निरीक्षक.

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूं अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1901)

गुना, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2397.—निर्मांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन

में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या, प्रेमगढ़	959/12-09-2002	732/18-05-2017	जी. के. वास्त्री, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1902)

गुना, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2398.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या, नारायणपुरा.	1116/10-01-2007	732/18-05-2017	जी. के. वास्त्री, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1903)

गुना, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2399.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन

में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	शासकीय अधिकारी/कर्मचारी गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या., गुना.	818/11-11-1963	736/18-05-2017	आर. सी. जाटव, सहकारी निरीक्षक.

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूं अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1904)

गुना, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2400.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	आदर्श फल साग-सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था, गुना.	929/23-12-1993	736/18-05-2017	आर. सी. जाटव, सहकारी निरीक्षक.

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूं अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1905)

गुना, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2401.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन

में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	पर्व किसान दलहन बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुना.	983/30-05-2003	736/18-05-2017	आर. सी. जाटव, सहकारी निरीक्षक.

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूं अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया.

(1906)

गुना, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2402.—निर्मांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	नारी कल्याण सहकारी संस्था मर्या., गुना.	505/16-01-1977	736/18-05-2017	विजय गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूं अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया.

(1907)

गुना, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2403.—निर्मांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन

में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	शक्तिपुंज महिला सहकारी संस्था मर्या., भादौर.	1053/26-04-2005	736/18-05-2017	आर. सी. जाटव, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1908)

गुना, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2404.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	सहरिया मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., नेहगमा.	581/20-04-1987	736/18-05-2017	आर. सी. जाटव, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1910)

गुना, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2405.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन



में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भौरा	750/09-03-1995	182/16-02-2012	आर. सी. जाटव, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1911)

गुना, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2406.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	राजस्व कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., गुना.	1048/18-02-2005	736/18-05-2017	आर. सी. जाटव, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1912)

गुना, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2407.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन

में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मगरोडा	757/31-01-1995	183/16-02-2012	आर. सी. जाटव, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1913)

गुना, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2408.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	कामगारों की सहकारी संस्था मर्या., भदौरा	787/29-07-1995	736/18-05-2017	आर. सी. जाटव, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1914)

गुना, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2409.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन

में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	राजीव गाँधी ऑफसेट सहकारी संस्था मर्या., गुना.	858/29-11-1996	736/18-05-2017	आर. सी. जाटव, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1915)

गुना, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2410.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	शक्तिपुंज महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., विसोनिया.	1030/09-09-2004	736/18-05-2017	आर. सी. जाटव, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1916)

गुना, दिनांक 11 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2442.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन

में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था गढ़ा	768/31-03-1995	734/18-05-2017	बी. के. शर्मा, उप अंकेक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1917)

गुना, दिनांक 11 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2443.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., डुंगासरा	55/31-01-1958	734/18-05-2017	बी. के. शर्मा, उप-अंकेक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1918)

गुना, दिनांक 11 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2444.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन

में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	अन्त्योदय ईट-भट्टा कामकार सहकारी संस्था मर्या., बमोरी.	720/21-07-1993	733/18-05-2017	सी. एम. धुलिया, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1919)

गुना, दिनांक 11 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2445.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	महिला स्वाधार बहु. सहकारी संस्था मर्या., गुना.	907/28-03-2001	736/18-05-2017	आर. सी. जाटव, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1920)

गुना, दिनांक 11 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2446.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन

में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	भारतीय जीवन बीमा साख सहकारी संस्था मर्या., गुना.	1211/14-10-2015	736/18-05-2017	आर. सी. जाटव, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1921)

गुना, दिनांक 11 दिसम्बर, 2017

क्र.परि./2017/2447—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	डॉ. अम्बेडकर साख सहकारी संस्था मर्या., पगारा.	20/11-09-2003	736/18-05-2017	आर. सी. जाटव, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1922)

गुना, दिनांक 11 दिसम्बर, 2017

क्र.परि./2017/2448.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन

में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	धनिया उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुना.	872/13-04-1998	736/18-05-2017	आर. सी. जाटव, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1923)

गुना, दिनांक 11 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2449.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेडाहाट.	1107/07-07-2006	736/18-05-2017	आर. सी. जाटव, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1924)

गुना, दिनांक 11 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2450.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन

में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	पुलिस वेलफेयर कंजूमर्स सहकारी संस्था, गुना.	28/20-08-2004	736/18-05-2017	आर. सी. जाटव, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1925)

गुना, दिनांक 11 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2451.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	होमगार्ड वेलफेयर सहकारी संस्था मर्या., गुना.	30/28-02-2005	736/18-05-2017	आर. सी. जाटव, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1926)

गुना, दिनांक 11 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2452.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन



में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	शासकीय अधिकारी कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., गुना.	55/06-11-2009	736/18-05-2017	आर. सी. जाटव, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1927)

गुना, दिनांक 11 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2453.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पगारा	1105/03-07-2006	736/18-05-2017	आर. सी. जाटव, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1928)

गुना, दिनांक 11 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2454.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन

में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	बंदना कॉन्वेंट स्टाफ एण्ड स्टूडेंट साख सहकारी संस्था, गुना.	50/22-03-2007	736/18-05-2017	आर. सी. जाटव, सहकारी निरीक्षक.

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1929)

गुना, दिनांक 11 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2455.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	दीपक स्पिनर्स सहकारी संस्था मर्या., पगारा	875/20-07-1998	736/18-05-2017	आर. सी. जाटव, सहकारी निरीक्षक.

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1930)

गुना, दिनांक 11 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2456.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन

में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	शक्तिपुंज बहु. सहकारी संस्था मर्या., खयावदा बरखेडाहाट.	1038/06-10-2004	736/18-05-2017	आर. सी. जाटव, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1931)

गुना, दिनांक 11 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2457.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	बंसुधरा स्वायत्त उपभोक्ता भण्डार, गुना	46/25-01-2006	736/18-05-2017	आर. सी. जाटव, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1932)

गुना, दिनांक 11 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2458.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन

में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नानाखेडी	1187/11-11-2004	736/18-05-2017	आर. सी. जाटव, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1933)

गुना, दिनांक 11 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2459.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	सिद्धेश्वर साख सहकारी संस्था मर्या., गुना	42/07-01-2006	736/18-05-2017	आर. सी. जाटव, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1934)

गुना, दिनांक 11 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2460.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन

में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	माँ गायत्री केन्टीन सहकारी संस्था मर्या., गुना	47/08-05-2006	736/18-05-2017	आर. सी. जाटव, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया गया।

(1935) के. के. द्विवेदी,  
उप-पंजीयक.

### कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 14 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/4655.—यह कि कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/1578, दिनांक 11 अप्रैल, 2014 के द्वारा दीप गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर/630, दिनांक 06 सितम्बर, 1996 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री के. एम. स्वर्णकर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था। श्री के. एम. स्वर्णकार, सहाकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की लेनदारी-देनदारी का निराकरण करते हुये पत्र दिनांक 24 सितम्बर, 2014 के द्वारा संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया। अंतिम प्रतिवेदन के साथ संस्था की आमसभा दिनांक 12 जुलाई, 2014 की कार्यवाही की प्रति एवं संस्था के वर्ष 2014-15 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रक तथा मध्यप्रदेश राजपत्र प्रकाशन दिनांक 09 मई, 2014 की छायाप्रति प्रस्तुत की है। अंतिम प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि संस्था की आमसभा दिनांक 12 जुलाई, 2014 में संस्था का पंजीयन निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया है राजपत्र में संस्था की लेनदारी/देनदारी के सम्बन्ध में प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के भीतर संस्था सदस्यों से दावा/आपत्ति चाही गई थी। किन्तु निर्धारित अवधि में प्रकाशन उपरांत किसी भी सदस्य द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्ती के संबंध में किसी प्रकार की कोई दावा/आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। संस्था के वर्ष 2014-15 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रक अनुसार संस्था की लेनदारी/देनदारी का निराकरण करते हुये वित्तीय पत्रक में दर्शित मदों को निरंक किया गया है। इस कार्यालय को उक्त राजपत्र में प्रकाशन उपरांत आज दिनांक तक किसी भी सदस्य द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्ती के संबंध में कोई दावा/आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। श्री के. एम. स्वर्णकार, सहकारी निरीक्षक का स्थानांतरण अन्यत्र हो जाने के कारण कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/2781, दिनांक 29 जून, 2016 के द्वारा श्री संजय कुचनकर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया है। श्री कुचनकर, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के अभिलेख सूची अनुसार इस कार्यालय को प्रस्तुत किये गये हैं। चूँकि संस्था की लेनदारी-देनदारी का निराकरण हो जाने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) की पंजीयक की शक्तियों जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी-भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर को प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुये मैं, के. पाटनकर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला इन्दौर, दीप गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर/630, दिनांक 06 सितम्बर, 1996 का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1869) के. पाटनकर,  
उप-पंजीयक.

## कार्यालय परिसमापक सार्थक कामगार कारीगर सहकारी समिति मर्या., खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 06 दिसम्बर, 2017

[ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं के नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत ]

क्र./1.—सार्थक कामगार कारीगर सहकारी समिति मर्या., खण्डवा पंजीयन क्र. 2247, दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 है, को उप/सहायक, पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खण्डवा के आदेश क्र./परिसमापक/2017/585, खण्डवा, दिनांक 18 मई, 2017 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एच. सी. महाजन, सहकारी निरीक्षक, जिला खण्डवा को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, नियम-1962 के नियम-57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को तदैव द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जनपद पंचायत परिसर सिविल लाइन्स, खण्डवा में कार्यालयीन दिवस व समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वहीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उनका क्लेम मान्य नहीं किया जायेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अतः रिकार्ड आपके पास होने की दशा में संपूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 06 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1886)

एच. सी. महाजन,  
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 01 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 जनवरी, 2018-पौष 15, शके 1939

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 19 जुलाई, 2017

1. मौसम एवं वर्षा.-राज्य में प्रायः आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के निम्नलिखित जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.-

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि.मी. तक- तहसील मुरैना, जौरा, कैलारस (मुरैना), विजयपुर (शयोपुर), घाटीगांव (ग्वालियर), नरवर, करेरा (शिवपुरी), त्योंथर (रीवा), झाबुआ (झाबुआ), बेरसिया (भोपाल) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा होना प्रतिवेदित किया गया है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि.मी. तक- तहसील पोरसा (मुरैना), भिण्ड, गोहद, मेहगांव, रोना-मिहोना (भिण्ड), पिछोर, खनियाधाना (शिवपुरी), अशोकनगर (अशोकनगर), जतारा (टीकमगढ़), गौरीहार, लवकुश नगर (छतरपुर), मझगावां (सतना), सिरमौर, हनुमना (रीवा), सोहागपुर (शहडोल), अनूपपुर, कोतमा (अनूपपुर), सोनकच्छ (देवास), कुक्षी (धार), पानसेमल (बड़वानी), आप्टा (सीहोर), करेली (नरसिंहपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा वर्षा होना प्रतिवेदित किया गया है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि.मी. तक- तहसील अम्बाह, सबलगढ़ (मुरैना), शयोपुर, कराहल (शयोपुर), ग्वालियर (ग्वालियर), शिवपुरी, कोलारस, पोहरी (शिवपुरी), निवाड़ी, पृथ्वीपुर, पलेरा, ओरछा (टीकमगढ़), विरसिंहपुर (सतना), मऊगंज (रीवा), बुढ़ार, जैतपुर (शहडोल), जैतहरी (अनूपपुर), पाली, मानपुर (उमरिया), गोपदबनास, सिंहावल, चुरहट, रामपुर नैकिन (सीधी), शुजालपुर (शाजापुर), टोंकखुर्द, उदयनगर (देवास), जोवट, कट्टीवाड़ा, सोण्डवा, उदयगढ़ (अलीराजपुर), मनावर, गंधवानी (धार), इच्छावर (सीहोर), सिलवानी (रायसेन), शाहपुर (बैतूल), हरई (छिन्दवाड़ा), लखनादौन, छापरा (सिवनी), कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा होना प्रतिवेदित किया गया है.

(द) 53.2 से 244.9 मि.मी. तक- तहसील अटेर, लहार (भिण्ड), बदरवास (शिवपुरी), मुंगावली, ईशागढ़, चन्देरी (अशोकनगर), गुना, राधोगढ़, बमौरी, आरौन, चाचौड़ा, कुंभराज (गुना), टीकमगढ़, बल्देवगढ़ (टीकमगढ़), नौगांव, छतरपुर, राजनगर, बिजावर, बडामल्हारा (छतरपुर), अजयगढ़, पन्ना, गुन्नौर, पवई (पन्ना), बीना, खुर्ई, बण्डा, सागर, रेहली, देवरी, गढ़ाकोटा, केसली, मालथौन, शाहगढ़ (सागर), हटा, बटियागढ़, पथरिया, जवेरा, तेन्दूखेड़ा, पटेरा, दमोह (दमोह), रघुराजनगर, रामपुरबघेलान, नागौद, उचेहरा, अमरपाटन, रामनगर, मैहर,

(सतना), हुजूर, गुढ़, रामपुरकचुलियान (रीवा), ब्यौहारी, जयसिंहनगर, गोहपारू (शहडोल), पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़ (उमरिया), मझौली, कुसमी (सीधी), सुवासरा, भानुपुरा, मल्हारगढ़, गरोट, मन्दसौर, श्यामगढ़, सीतामऊ, धुंधडक्का, संजीत, कयामपुर (मंदसौर), जावद, नीमच, मनासा (नीमच), खाचरौद, तराना, घटिया, उज्जैन, बड़नगर (उज्जैन), मौमन बड़ोदिया, शाजापुर, कालापीपल, गुलाना (शाजापुर), देवास, बागली, कन्नौद, हाटपिपल्या, सतवास, खातेगांव (देवास), अलीराजपुर, चं. शेखर आजाद नगर (अलीराजपुर), बदनावर, सरदारपुर, धार, डही (धार), खरगौन, बड़वाह, महेश्वर, सेगांव, गोगांव, कसरावद, भगवानपुरा, भीकनगांव, झिरन्या (खरगोन), बड़वानी, ठीकरी, राजकोट, सेंधवा, पाटी, बरला, निवाली (बड़वानी), बुरहानपुर, खकनार, नेपानगर (बुरहानपुर), राजगढ़, जीरापुर, खिलचीपुर, ब्यावरा, सारंगपुर, पचौर, नरसिंहगढ़ (राजगढ़), लटेरी, सिरोंज, कुरवाई, बासौदा, नटेरन, विदिशा, गुलाबगंज, ग्यारसपुर (विदिशा), बैरागढ़ (भोपाल), सीहोर, नसरूल्लागंज, रेहटी, श्यामपुर, जावट, बुधनी (सीहोर), रायसेन, गैरतगंज, बेगमगंज, गौहरगंज, बरेली, बाडी, उदयपुर (रायसेन), बैतूल, भैंसदेही, घोड़ाडोंगरी, चिचौली, मुलताई, आठनेर, आमला (बैतूल), होशंगाबाद, बावई, इटारसी, सिवनी-मालवा, सोहागपुर, पिपरिया, वनखेड़ी, पचमढी (होशंगाबाद), हरदा, खिरकिया, टिमरनी (हरदा), जबलपुर, कुण्डम, सिंहौरा, पाटन, मझौली (जबलपुर), नरसिंहपुर, गोटेगांव, गाडरवारा, तेन्दूखेड़ा (नरसिंहपुर), मण्डला, नैनपुर, बिछिया, निवास, नारायणगंज, घुघरी (मण्डला), डिण्डोरी, बजाग (डिण्डोरी), छिन्दवाड़ा, तामिया, परासिया, सौसर, बिछुआ, अमरवाड़ा, चौरई, उमरेठ, मोहखेड़, चांद, पाण्डुर्णा, जुन्नारदेव (छिन्दवाड़ा), सिवनी, बरघाट, कुरई, केवलारी, घनौरा, घंसौर (सिवनी), बालाघाट, लांजी, किरनापुर, बैहर, वारासिवनी, लालबरी, परसवाड़ा, बिरसा, खैरलांजी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा होना प्रतिवेदित किया गया है।

(इ) 245.0 से 449.9 मि.मी. तक- तहसील बक्सवाहा (छतरपुर), शाहनगर (पन्ना), राहतगढ़ (सागर), जावरा, आलोट, सैलाना, बाजना, ताल, रावटी, पिपलौदा, रतलाम (रतलाम), महिदपुर, नागदा (उज्जैन), शाहपुरा (डिण्डोरी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. **जुताई-** जिला श्योपुर, ग्वालियर, पन्ना, दमोह, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, रायसेन, बैतूल, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मण्डला, डिण्डोरी, सिवनी में जुताई कार्य कहीं-कहीं चालू रहना तथा जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, पन्ना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, सिवनी, बालाघाट में धान रोपाई कार्य कहीं-कहीं चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।

3. **बोनी-** जिला धार में फसल सोयाबीन, डिण्डोरी में फसल मक्का, सोयाबीन, उड़द एवं मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, गुना, पन्ना, दमोह, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, इन्दौर, बड़वानी, राजगढ़, रायसेन, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी में खरीफ फसलों की बोनी कार्य कहीं-कहीं चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।

4. **फसल स्थिति-** . .

5. **कटाई-** . .

6. **सिंचाई-** जिला ग्वालियर, सिंगरौली, झाबुआ, बड़वानी, सीहोर, सिवनी में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में व शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।

7. **पशुओं की स्थिति-** राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है।

8. **चारा-** राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।

9. **बीज-** राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।

10. **खेतिहर श्रमिक-** राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।



## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 19 जुलाई, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. कैलारस 6. सबलगढ़	40.0 20.0 15.6 9.0 5.0 46.0				
<b>2. जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू. बोनी चालू. (ब) धान रोपाई चालू.	3. . . 4. (1) गन्ना, धान, ज्वार, बाजरा, तिल, तुअर, उड़द, मूंग मक्का समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर 4. वीरपुर 5. बडोदा	45.0 42.3 9.0 . . . .				
<b>3. जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना/रौन 7. गौरमी 8. मौ	131.3 17.9 19.0 17.6 55.8 18.0 . . . .				
<b>4. जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी कार्य चालू, (ब) धान रोपाई कार्य चालू.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. चिनोर 5. घाटीगांव	43.8 . . . . . . 11.0				
<b>5. जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी चालू, (ब) धान रोपाई चालू.	3. . . 4. (1) गन्ना समान. (2) गन्ना समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवदा 2. दतिया 3. इन्दरगढ़ 4. बढौनी 5. भाण्डेर	. . . . . . . . . .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>6. जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	53.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	22.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	18.0				
4. नरवर	9.0				
5. करैरा	11.0				
6. कोलारस	35.0				
7. पोहरी	47.0				
8. बैराढ़	. .				
9. बदरवास	61.0				
<b>7. जिला अशोकनगर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	124.0		4. (1) उड़द, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	56.0		सोयाबीन, गन्ना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	30.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. चन्देरी	63.0				
5. नई सराय	. .				
6. पिपरई	. .				
7. शाढौरा	. .				
<b>8. जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	76.0		4. (1) सोयाबीन, उड़द, मक्का, मूँग	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राधोगढ़	94.0		समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	65.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. आरोन	61.0				
5. चाचौड़ा	160.0				
6. मकसूदनगढ़	. .				
7. कुम्भराज	129.0				
<b>9. जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. . . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	53.0		4. (1) धान, ज्वार, मूँग, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	42.0		मूँगफली, तिल, सोयाबीन,	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	26.0		अरहर समान.		
4. टीकमगढ़	139.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. बल्देवगढ़	82.0				
6. पलेरा	39.0				
7. खरगापुर	. .				
8. मोहनगढ़	. .				
9. लिधौरा	. .				
10. ओरछा	51.0				
<b>10. जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लोण्डी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	29.8		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	86.0				
4. छतरपुर	102.2				
5. राजनगर	67.3				
6. बिजावर	92.0				
7. बड़ामलहरा	163.8				
8. महाराजपुर	. .				
9. चंदला	. .				
10. लवकुश नगर	30.0				
11. बक्सवाहा	245.4				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>11. जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी व रोपाई कार्य चालू.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	61.1				
2. पन्ना	106.8				
3. गुन्नौर	155.4				
4. पवई	220..0				
5. रेपुरा	. .				
6. अमानगंज	. .				
7. देवेन्द्र नगर	. .				
8. सिमरिया	. .				
9. शाहनगर	255.0				
<b>12. जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	208.0				
2. खुरई	241.3				
3. बण्डा	86.0				
4. सागर	137.9				
5. रेहली	160.4				
6. देवरी	165.0				
7. गढ़ाकोटा	136.0				
8. राहतगढ़	270.0				
9. कंसली	126.0				
10. मालथोन	135.0				
11. शाहगढ़	235.0				
<b>13. जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू. बोनी चालू.	3. . . 4. (1) गन्ना, सोयाबीन, धान, मूँग, उड़द, तुअर, ज्वार, मक्का, तिल, मूँगफली अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	192.0				
2. बटियागढ़	156.0				
3. दमोह	184.0				
4. पथरिया	151.0				
5. जवेरा	211.0				
6. तेन्दूखेड़ा	141.8				
7. पटेरा	236.0				
<b>14. जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) तुअर, तिल, सोयाबीन, उड़द, मूँग, कोंदोकुटकी, धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, रामतिल, मूँगफली कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	81.9				
2. मझगवां	18.0				
3. रामपुर-बघेलान	113.0				
4. नागौद	171.9				
5. उचेहरा	145.0				
6. अमरपाटन	176.0				
7. रामनगर	109.0				
8. मैहर	112.0				
9. कोठर	. .				
9. बिरसिंहपुर	45.0				
<b>15. जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू. बोनी चालू.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	7.0				
2. सिरमौर	31.4				
3. मऊगंज	42.6				
4. हनुमना	32.2				
5. हुजूर	159.4				
6. गुढ़	134.7				
7. मनगवां	. .				
8. सेमरिया	. .				
9. जवा	. .				
10. नईगढ़ी	. .				
11. रायपुरकर्चुलियान	79.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>16. जिला शहडोल:</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	28.0		4. (1) धान, मक्का, कोदों, अरहर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	72.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जैसिंहनगर	101.0				
4. बुढ़ार	50.5				
5. गोहपारू	57.0				
6. जैतपुर	48.0				
<b>17. जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू, बोनी कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	48.6	धान रोपाई कार्य चालू.	4. (1) मक्का अधिक, सोयाबीन समान. धान, तुअर, तिल, कोदो-कुटकी कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	22.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. कोतमा	28.0				
4. पुष्पराजगढ़	105.7				
<b>18. जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू. धान रोपाई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	71.3		4. (1) धान, मक्का, उड़द, राहर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	42.0		(2) . .		
3. चंदिया	. .				
4. नौरोजाबाद	. .				
5. मानपुर	51.0				
<b>19. जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	38.4		4. (1) धान, तुअर, तिल, उड़द, मूंग, ज्वार, मक्का कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	41.4		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	92.0				
4. कुसमी	74.0				
5. चुरहट	41.4				
6. बहरी	. .				
7. रामपुरनैकिन	38.3				
<b>20. जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी कार्य चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) मक्का, उड़द, ज्वार, राहर, कोदों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सरई	. .				
4. माडा	. .				
5. सिंगरौली	. .				
<b>21. जिला मंदसौर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्या	104.9		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	73.6		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	186.0				
4. गरोठ	62.1				
5. मंदसौर	158.0				
6. श्यामगढ़	110.3				
7. सीतामऊ	102.4				
8. दलोदा	. .				
9. धुंधड़क्का	140.0				
10. संजीत	163.2				
11. कयामपुर	112.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>22. जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	94.9		4.(1) मक्का, सोयाबीन, उड़द, मूंगफली, अरहर, मूंग, तिल, ज्वार समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	133.4		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. सिंगौली	. .				
4. जीरन	. .				
5. रामपुर	. .				
6. मनासा	135.2				
<b>23. जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	289.0		4.(1) सोयाबीन, मक्का, कपास. समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	289.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सैलाना	320.0				
4. बाजना	396.0				
5. ताल	265.1				
6. रावटी	377.6				
7. पिपलोदा	357.0				
8. रतलाम	323.0				
<b>24. जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	230.0		4.(1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	255.0		(2) . .		
3. तराना	76.0				
4. घटिया	125.0				
5. उज्जैन	118.0				
6. बड़नगर	185.0				
7. नागदा	. .				
<b>25. जिला आगर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	. .		4.(1) सोयाबीन, मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
<b>26. जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोमन बड़ोदिया	120.0		4.(1) मक्का, ज्वार, लाल तुअर, उड़द अधिक, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	92.6		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. शुजालपुर	49.0				
4. कालापीपल	103.0				
5. पोलाय कलां	. .				
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	. .				
7. गुलाना	87.0				
<b>27. जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	30.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	36.0		(2) . .		
3. देवास	58.0				
4. बागली	93.0				
5. कन्नोद	70.0				
6. हाटपिपल्या	135.0				
7. सतवास	60.0				
8. उदयनगर	42.0				
9. खातेगांव	145.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>28. जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) धान, मक्का, सोयाबीन, उड़द, कपास, मूंगफली, तुअर, समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	7.7				
5. राणापुर	. .				
<b>29. जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	42.8		4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कपास, उड़द अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	60.4		(2) . .		
3. कट्टीवाड़ा	52.0				
4. सोंडवा	47.0				
5. भामरा	. .				
6. उदयगढ़	47.6				
7. चन्द्रशेखर आ. नगर	68.7				
<b>30. जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. सोयाबीन फसल की बोनी चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	174.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	69.0		(2) . .		
3. धार	71.6				
4. कुक्षी	30.0				
5. मनावर	37.0				
6. धरमपुरी	52.0				
7. गंधवानी	39.0				
8. डही	68.0				
<b>31. जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की बोनी का कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. हातोद	. .				
5. महु (डॉ. अम्बेडकर नगर)	. .				
<b>32. जिला खरगौन :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	91.7		4. (1) मक्का, तुअर अधिक, ज्वार, धान, बाजरा, कपास, मूंगफली कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	59.1		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सेगांव	161.0				
4. खरगौन	157.3				
5. गोगावां	141.0				
6. कसरावद	188.0				
7. भगवानपुरा	115.5				
8. भीकनगांव	136.8				
9. सनावद	. .				
10. झिरन्या	195.2				
<b>33. जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	91.6		4. (1) गन्ना, मक्का अधिक, ज्वार, कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	107.0		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. राजकोट (राजपुर)	118.0				
4. सेंधवा	77.0				
5. पानसेमल	29.0				
6. पाटी	69.0				
7. अंजड	. .				
8. बरला	78.3				
9. निवाली	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>34. जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खालवा	. .				
4. पंधाना	. .				
5. हरसूद	. .				
<b>35. जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	79.0		4. (1) कपास, मूंगफली अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	137.4		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	178.0				
<b>36. जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	105.3		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	133.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खिलचीपुर	166.2				
4. ब्यावरा	195.4				
5. सारंगपुर	120.0				
6. पचोर	113.0				
7. नरसिंहगढ़	148.0				
<b>37. जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	185.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	154.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	212.1				
4. बासोदा	123.4				
5. नटेरन	163.0				
6. विदिशा	141.1				
7. गुलाबगंज	110.0				
8. समसाबाद	. .				
9. त्योंदा	. .				
10. पठारी	. .				
11. ग्यारसपुर	114.0				
<b>38. जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. धान रोपाई कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	8.8		4. (1) सोयाबीन, मूंग, उड़द, ज्वार,,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बैरागढ़	67.3		मक्का, धान समान.	चारा पर्याप्त.	
3. हुजूर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
<b>39. जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. धान रोपाई कार्य चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	63.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आप्टा	31.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इच्छावर	41.0				
4. नसरुल्लागंज	85.0				
5. रेहटी	170.0				
6. श्यामपुर	149.0				
7. जावर	63.3				
8. बुधनी	197.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>40. जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी कार्य चालू.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	67.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	61.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	136.0				
4. गोहरगंज	130.0				
5. बरेली	149.4				
6. सिलवानी	42.8				
7. बाड़ी	54.5				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	202.0				
<b>41. जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैतूल	108.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भैंसदेही	144.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. घोड़ाडोंगरी	109.2				
4. शाहपुर	43.8				
5. चिचोली	124.3				
6. मुलताई	107.8				
7. आठनेर	80.6				
8. आमला	99.8				
<b>42. जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	धान की रोपाई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	242.5		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिवनी मालवा	117.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	71.0				
4. इटारसी	194.2				
5. सोहागपुर	140.0				
6. पिपरिया	220.6				
7. बनखेड़ी	131.2				
8. पचमढ़ी	219.2				
<b>43. जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	141.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	158.7		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सिराली	. .				
4. रेहटगांव	. .				
5. हंडिया	. .				
6. टिमरनी	104.4				
<b>44. जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी कार्य चालू धान रोपाई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	86.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	118.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सीहोरा	157.6				
4. पाटन	175.3				
5. मझौली	186.3				
6. शाहपुरा	. .				
7. पनागर	. .				
<b>45. जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है, खरीफ फसलों का बोनी कार्य चालू है. धान की रोपाई.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. रीठी	. .				
4. बड़वारा	. .				
5. मुड़वारा (कटनी)	. .				
6. विजयराघवगढ़	. .				
7. बरही	. .				



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>46. जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी कार्य चालू	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर	97.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गोटेगांव	103.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. करेली	27.0				
4. गाडरवारा	61.0				
5. तेंदूखेड़ा	78.0				
<b>47. जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मण्डला	63.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नैनपुर	77.3		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बिछिया	135.3				
4. निवास	140.6				
5. नारायणगंज	118.6				
6. घुघरी	96.9				
<b>48. जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू, बोनी चालू, मक्का, धान, सोयाबीन, उड़द.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	58.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	247.3		(2)	..	चारा पर्याप्त.
3. बजाग	98.8				
<b>49. जिला छिंदवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	127.8		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. तामिया	192.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	86.0				
4. जुन्नारदेव	126.8				
5. सोंसर	77.2				
6. बिछुआ	140.4				
7. अमरवाड़ा	94.4				
8. चौरई	113.2				
9. उमरेठ	131.6				
10. मोहखेड़ा	73.6				
11. हरई	48.4				
12. चांद	78.7				
13. पांडुर्णा	86.1				
<b>50. जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है, खरीफ फसलों की बोनी चालू है. धान रोपाई चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	132.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बरघाट	121.4		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरई	175.0				
4. केवलारी	116.8				
5. लखनादोन	48.7				
6. छपारा	51.4				
7. घनोरा	97.7				
8. घंसोर	63.0				
<b>51. जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. धान फसल का रोपाई कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	126.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लौंजी	59.8		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. किरनापुर	109.0				
4. बैहर	70.0				
5. वारासिवनी	100.3				
6. कटंगी	41.3				
7. लालबर्गा	102.0				
8. तिरोडी	..				
9. परसवाड़ा	155.0				
10. बिरसा	78.8				
11. खैरलांजी	108.7				

आर. पी. भारती,  
संयुक्त आयुक्त,  
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.